प्रेस विज्ञप्ति, थाना कोतवाली नगर महोबा

जनपद महोबा में लोकसभा चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु महोबा पुलिस की बड़ी कार्यवाही, थाना कोतवाली महोबा पुलिस टीम ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भण्डाफोड करते हुए 02 नफर शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कब्जे से भारी संख्या में बने-अधबने अवैध तमंचे-कारतूस सहित शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के नेतृत्व/निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को शांतिपूर्ण, भयमुक्त माहौल में सकुशल सम्पन्न कराये जाने तथा अपराध की रोकथाम हेतु जीरो टालरेंस नीति के तहत अपराधियों के विरुद्ध की जा रही ताबडतोड़ कार्यवाही के क्रम में श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक एवं श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में गठित हुई थाना कोतवाली नगर महोबा पुलिस टीम को आज दिनांक 18.03.2024 को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई, श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा थाना कोतवाली नगर महोबा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम बरात पहाड़ी में अवैध रुप से संचालित शस्त्र फैक्ट्री की सूचना पर दबिश दी गयी, दबिश के दौरान पुलिस टीम ने 02 नफर अभियुक्तगण 1.गुलबदन राजपूत पुत्र रामसेवक उम्र करीब 34 वर्ष 2.पप्पू कुशवाहा पुत्र परशु उम्र करीब 36 वर्ष निवासी बरात पहाडी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा जो अवैध शस्त्रों का निर्माण कर रहे थे, जिनको नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तो के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर महोबा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

- लोकसभा चुनाव से पहले महोबा पुलिस को इस प्रकार एक बडी सफलता हासिल हुई है। आरोपी जेल से छूटने के बाद दोबारा से तमंचा बनाने के अवैध कारोबार में फिर से जुट गये थे। दोनो अभियुक्त अवैध शस्त्र बनाने के लिये पूर्व में जेल जा चुके हैं। अभियुक्तगण गुलबदन राजपूत व पप्पू कुशवाहा के विरुद्ध पूर्व में भी अवैध शस्त्रों के निर्माण, अवैध शराब, चोरी आदि अपराधों में कई अभियोग पंजीकृत हैं, अभियुक्तों के विरुद्ध गैगेस्टर की कार्यवाही भी की गयी है अभियुक्तों द्वारा अपराध से अर्जित सम्पत्ति के सम्बन्ध में सूचना / साक्ष्य संकलन कर जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। जनपद महोबा पुलिस की इस बड़ी कार्यवाही के दौरान अवैध शस्त्र फैक्ट्री की बरामदगी की गई है जिससे जनपद में अवैध असलहों के प्रयोग में प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. गुलबदन राजपूत पुत्र रामसेवक उम्र करीब 34 वर्ष निवासी बरातपहाडी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा
2. पप्पू कुशवाहा पुत्र परशु उम्र करीब 36 वर्ष निवासी बरात पहाडी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

बरामदगी का विवरण निम्नवत है:-

1. 05 अदद देशी तमंचा 315 बोर
2. एक अदद तमंचा देशी 12 बोर
3. 02 अदद अधबने तमंचे 12 बोर
4. 02 अदद अधबने तमंचो का फ्रेंम
5. 02 अदद कारतूस 315 बोर मिस
6. एक अदद कारतूस 12 बोर जिन्दा
7. एक बण्डल मे 01 अदद बन्दूक एकनाली अधबनी 12 बोर
8. भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण

गिरफ्तारी / बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर महोबा में क्रमशः-

1. मु0अ0सं0 **134/24** धारा 5/25 आर्म्स एक्ट बनाम 1. गुलबदन राजपूत पुत्र रामसेवक उम्र करीब 34 वर्ष निवासी बरातपहाडी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा **2.** पप्पू कुशवाहा पुत्र परशु उम्र करीब 36 वर्ष निवासी बरात पहाडी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा।

2. मु0अ0सं0 **135/24** धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम गुलबदन राजपूत पुत्र रामसेवक उम्र करीब 34 वर्ष निवासी बरातपहाडी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा।

3. मु0अ0सं0 **136/24** धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम पप्पू कुशवाहा पुत्र परशु उम्र करीब 36 वर्ष निवासी बरात पहाडी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर अपराधी हैं, बताया कि लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आने के कारण तमंचो की काफी मांग है जिस कारण हम लोग दिन व रात में सुनसान स्थान पर बनी इसी झोपड़ी में चोरी छिपे अवैध शस्त्रो का निर्माण कर रहे थे, जिससे लोगो को हमारी आपराधिक गतिविधि का पता नहीं चलता था। शस्त्रों के निर्माण कर उनको चुनाव के दौरान अच्छे दामों में बेच कर मोटी रकम कमाने का इरादा था व क्षेत्र मैं भय व्याप्त करने के इरादे से अवैध शस्त्रों को बनाकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए बनाकर बेचते है।

अभियुक्त गुलबदन राजपूत पुत्र रामसेवक का अपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 139/23 धारा 60 आबकारी अधि0
2.मु0अ0सं0 372/23 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट
3.मु0अ0सं0 373/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
4.मु0अ0सं0 66/19 धारा 60 आबकारी अधि0
5.मु0अ0सं0 380/19 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट
6.मु0अ0सं0 381/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
7.मु0अ0सं0 353/22 धारा 60 आबकारी अधि0
8.मु0अ0सं0 2275/12 धारा 457/380/411 भादवि
9. मु0अ0सं0 126/24 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट

अभि0 पप्पू कुशवाहा पुत्र परसू का अपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 372/23 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट
2.मु0अ0सं0 375/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
3.मु0अ0सं0 126/24 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1.प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र प्रताप सिंह थाना कोतवाली नगर महोबा
2.उ0नि0 सत्यपाल सिंह थाना कोतवाली नगर महोबा
3.उ0नि0 सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया थाना कोतवाली नगर महोबा
4.कां0 मुकेश सिंह थाना कोतवाली नगर महोबा
5.कां0 प्रवीण कुमार यादव थाना कोतवाली नगर महोबा
6. का0 अभिषेक पटेरिया थाना कोतवाली नगर महोबा

थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 03 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्यौहारों एवं प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद महोबा में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने के उद्धेश्य से जनपद में संचालित अवैध जुआ/सट्टा के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 17.03.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व श्री दीपक दुबे क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर महोबा द्वारा गठित की गई उ0नि0 मनोज कुमार तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थाना क्षेत्रअन्तर्गत बिलवई गौशाला के पास सार्वजनिक स्थान पर ताश पत्तो से हारजीत की बाजी जुंआ खेल रहे 03 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.आशाराम श्रीवास पुत्र ठाकुरदास उम्र 32 वर्ष निवासी न्यूसिटी कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा 2.सतीशचन्द्र पुत्र शिवराम राजपूत उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम पवा थाना श्रीनगर जनपद महोबा 3.दीप राजपूत पुत्र वीरपाल उम्र 23 वर्ष निवासी कालीपहाड़ी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को पुलिस हिरासत में लिया गया, अभियुक्तों के कब्जे से मालफड 5610/- रूपया व 590/- रूपया जामातलाशी व 52 अदद ताश पत्ता बरामद करते हुये नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर महोबा में मु0अ0सं0- 133/2024 धारा 13 जुंआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

1. उ0नि0 मनोज कुमार तिवारी थाना कोतवाली नगर महोबा
2. हे0कां0 रावेन्द्र सोनकर
3. कां0 अरूण कुमार यादव

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1.आशाराम श्रीवास पुत्र ठाकुरदास उम्र 32 वर्ष निवासी न्यूसिटी कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

2. सतीशचन्द्र पुत्र शिवराम राजपूत उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम पवा थाना श्रीनगर जनपद महोबा

3. दीप राजपूत पुत्र वीरपाल उम्र 23 वर्ष निवासी कालीपहाड़ी थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

थाना कबरई की पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्यौहारों एवं प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 18.03.2024 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई द्वारा गठित की गई उ0नि0 रामेन्द्र कुमार गौतम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभि0 मुन्नालाल पुत्र रामकरन यादव उम्र 65 वर्ष नि0ग्राम गंज थाना कबरई जनपद महोबा सम्बन्धित अ0सं0 547/83 मु0नं01547/1**X/87** धारा 409/411 भादवि थाना कबरई के वारण्टी अभियुक्त को बांदा तिराहा कस्वा व थाना कबरई जनपद महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरान्त अभियुक्त उपरोक्त को सम्बन्धित माननीय न्यायालय **C.J.M.** जनपद बांदा के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 रामेन्द्र कुमार गौतम

गिरफ्तार अभियुक्त-

मुन्नालाल पुत्र रामकरन यादव उम्र 65 वर्ष नि0ग्राम गंज थाना कबरई जनपद महोबा

गिरफ्तारी स्थान-

बांदा तिराहा कस्बा व थाना कबरई , महोबा।

थाना कबरई की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ एक नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्यौहारों एवं प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अवैध शराब की बिक्री, निष्कर्षण एवं परिवहन की रोकथाम व ऐसे अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में दिनांक 17.03.2024 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई द्वारा गठित की गई उ0नि0 श्रीप्रकाश सिंह परिहार मय हमराह कां0 नरेन्द्र बाबू के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एक नफर अभियुक्त सुरेश पुत्र दुर्गा प्रसाद उम्र 23 वर्ष निवासी ऐचाना थाना खरेला जनपद महोबा को सुरहा तिराहा बहद ग्राम सुरहा थाना कबरई जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक के झोले से 17 अदद पाऊच देशी शराब नाजायज बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कबरई में मु0अ0सं0 73/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्रीप्रकाश सिंह परिहार
2. हे0कां0 नरेन्द्र बाबू

गिफ्तारी का स्थानः-

सुरहा तिराहा बहद ग्राम सुरहा थाना कबरई जनपद महोबा व फासला करीब 18 किमी जानिब दिशा उत्तर।

गिरफ्तार अभियुक्त-

सुरेश पुत्र दुर्गा प्रसाद उम्र 23 वर्ष निवासी ऐचाना थाना खरेला जनपद महोबा।

बरामद सम्पत्तिः-

अभि0 के कब्जे से एक प्लास्टिक के झोले मे 17 अदद पाऊच देशी शराब।

थाना कोतवाली नगर महोबा की संयुक्त पुलिस टीम ने अवैध शराब के विरुद्ध की कड़ी कार्यवाही,

24 लीटर अवैध शराब के साथ 03 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्यौहारों एवं प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अवैध शराब की बिक्री, निष्कर्षण एवं परिवहन की रोकथाम व ऐसे अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में दिनांक 17.03.2024 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर महोबा द्वारा भिन्न-भिन्न टीमों का गठन किया गया जिसमें उ0नि0 सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया, उ0नि0 मिथिलेश मिश्रा, उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल के नेतृत्व में पुलिस टीमे गठित हुई।

उ0नि0 सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में गठित प्रथम पुलिस टीम ने अभियुक्ता श्रीमती कन्या पत्नी मंगल कबूतरा उम्र 45 वर्ष निवासी बिच्छूपहाडिया कबूतरा डेरा थाना कोतवाली नगर जिला महोबा के कब्जे से 01 अदद प्लास्टिक की पिपिया में 10 लीटर कच्ची शराब महुआ नाजायज बरामद करते हुये बिच्छूपहाडिया के पास महोबा से गिरफ्तार कर बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0स0-129/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

उ0नि0 मिथलेश मिश्रा के नेतृत्व में गठित हुई द्वितीय पुलिस टीम ने अभियुक्त जगदीश कुशवाहा पुत्र रमाशंकर कुशवाहा निवासी ग्राम पचहरा थाना कोतवाली नगर जिला महोबा उम्र 39 वर्ष के कब्जे से 01 बोरी में 20 अदद क्वार्टर देशी शराब नाजायज बरामद करते हुये पचहरा मोड़ बहद ग्राम पचहरा से गिरफ्तार कर बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0स0- 130/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल के नेतृत्व में गठित हुई तृतीय पुलिस टीम ने अभियुक्ता लक्ष्मी पत्नी जैनिया उम्र करीब 28 वर्ष निवासी मु0 जकरियापीर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा के कब्जे से 01 अदद प्लास्टिक की पिपिया में 10 लीटर कच्ची शराब महुआ नाजायज बरामद करते हुये कुलपहाड़ जाने बाले रोड़ मौजा चांदो में बने अंडरपास रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे से गिरफ्तार कर बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0स0- 132/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की गयी

संयुक्त टीम में कुल बरामदगी:- कुल 24 लीटर अवैध कच्ची व देशी शराब नाजायज

गिरफ्तार करने वाली टीम क्रमशः-

प्रथम टीमः- 1. उ0नि0 श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया प्रभारी चौकी भटीपुरा थाना कोतवाली नगर जिला महोबा
2. कां0 दीपेश कुमार यादव 3. म0कां0 माधुरी पटेल

द्वितीय टीमः- 1.उ0नि0 मिथिलेश मिश्रा प्रभारी चौकी पसवारा 2.उ0नि0 महेश सिंह
3.कां0 महिताप सिंह

तृतीय टीमः- 1.उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल प्रभारी चौकी सुभाष थाना कोतवाली नगर जिला महोबा
2.म0कां0 विभा सिंह

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा सम्बन्धित को समस्या निस्तारण हेतु जरिये दूरभाष दिये गये आवश्यक निर्देश।

जनपद महोबा में पीड़ित/शिकायतकर्ता की समस्याओं के समुचित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की जा रही है, जनता की समस्याओं के समाधान के क्रम में आज दिनांक 18.03.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं एवं समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा जनता की समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित को मौके पर जरिये दूरभाष आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित को आदेशित किया गया कि मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करें, लापरवाही की सूचना पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की चेतावती प्रदान की गयी साथ ही शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।